



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(बीमा दलाल) विनियम, 2018
(Insurance Brokers) Regulations, 2018

अनुसूची 1 - फॉर्म एल
(विनियम 14 (8) देखें)
Schedule 1 - Form L
(See Regulation 14 (8))

पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

पंजीकरण संख्या Registration No.: 590

1. मेसर्स एथेना इश्योरेंस एवं रिइश्योरेंस प्रोक्टर्स प्रा. लि. श्रेणी सम्मिश्र
दलाल का पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 14 तथा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन इसके द्वारा नवीकृत किया जाता है।

1. *The Certificate of Registration of M/s. Athena Insurance & Re-Insurance Brokers Pvt. Ltd. Category Composite Broker is hereby renewed under Regulation 14 of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).*

2. हैदराबाद में 23 दिनों मार्च (माह) दो हजार तीस को जारी किया गया

2. *Issued at Hyderabad on 23rd day of March Two Thousand twenty three.*

3. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र 06.04.2023 से 05.04.2026 तक विधिमाम्य होगा।

3. *This Certificate of Registration shall be valid from 06.04.2023 to 05.04.2026.*

4. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र इस शर्त के अधिन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों का पालन करेगा।

4. *This Certificate of Registration is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all the provisions of the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) the Rules or regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars & Directions issued by the Authority from time to time.*

स्थान Place: हैदराबाद / Hyderabad

दिनांक Date: 23.03.2023

आदेशानुसार
By Order

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से
For Insurance Regulatory and Development Authority of India